# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2024/277**
मिसल नम्बर– 85 / 2024

1.मोहरबाई पत्नी श्योजीराम मीणा
2.श्योजीराम मीणा पुत्र श्री छोगाराम निवासीगण कुम्हारो का मोहल्ला गणेश चौक फतेहगढी के बालाजी खेडली फाटक

प्रार्थी।

बनाम

1.सत्यनारायण पुत्र श्योजीराम मीणा
2.सुशीला पत्नी सत्यनारायण निवासीगण कुम्हारो का मोहल्ला गणेश चौक फतेहगढी के बालाजी खेडली फाटक

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/5/25

उपस्थितिः–
1.श्री रामप्रसाद वर्मा प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री रूपनारायण सिसोदिया अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वृद्ध दम्पति है, ओर सिनियर सिटीजन है, तथा प्रार्थीगण वाकै कुम्हारो का मोहल्ला गणेश चौक फतेहगढ़ी के बालाजी खेडली फाटक कोटा पर निवास करते है, उक्त मकान प्रार्थीया मोहर बाई के नाम पर है, जिसका आवंटन पत्र मोहर बाई के नाम पर क्रमांक 316 दिनांक 14.5. 2013 को नगर निगम कोटा से जारी किया हुआ है, जिसकी रजिस्टरी दिनांक 23.7. 2013 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1199 पर श्रीमान उपपंजीयक काटा के यहां से पंजीयन हो रही है, प्रार्थीगण के अप्रार्थी क्रम 1 व विजय सिंह है, तथा विजय सिंह प्रार्थीगण की सेवा करता है, खर्चा वगैरा देता है,तथा पुत्री अपने अपने ससुराल गई है। अप्रार्थी सत्यनारायण प्रार्थीगण का पुत्र है, अप्रार्थीया क्रम 2 उसकी पत्नी है,जो प्रार्थीगण के उक्त मकान वाकै कुम्हारो का मोहल्ला गणेश चौक फतेहगढी के बालाजी खेडली फाटक कोटा पर ही निवास करते है,लेकिन यह दोनो प्रार्थीगण की सेवा सुश्रषा नही करते है,तथा अप्रार्थी सत्यनारायण ने प्रार्थीगण के मकान के लगवा ही उनकी खाली जमीन पर प्रार्थीगण के बड़े पुत्र विंजय सिंह. ने अपनी रकम से मदद करके मकान बनवाया जिस पर भी अप्रार्थीगण ने कब्जा कर लिया है,ओर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व वाले मकान पर भी बदनियती पूर्वक कब्जा कर हडपने की नियत से आये दिन लडाई झगडा गाली गलोच करते है,मारपीट तक पर आमादा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को

फसाद हो जाते है, जान से मारने की धमकीया देते है,दिनांक 6.8.2024 को सायं 7 बजे करीब, भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच करते हुए धक्का मुक्की की ओर मकान से प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकीया दी जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 8.8.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शहर कोटा को परिवाद दिया लेकिन उस पर आज तक काई कार्यवाही नही हुई। जिससे अप्रार्थीगण के होंसले ओर भी अधिक बुलन्द हो गये है,ओर यह लोग नित प्रतिदिन प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने की गरज से लड़ाई झगडा करते है,मारपीट करने तक पर आमादा फसाद हो जाते है,जबकि यह लोग प्रार्थीगण की बुजुर्ग अवस्था में कोई सेवा सुश्रषा नही करते है, इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को अपने मकान से बेदखल करना चाहते है, इसतलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है। अप्राथीगण द्वारा प्रार्थीया व प्रार्थीया के साथ उपरोक्त घटनाक्रम के तहत कारित घरेलू हिंसा के कृत्यो से प्रार्थीया को कारित मानसिंक प्रताडना एवं भावनात्मक कष्ट की क्षतियो के लिए प्रतिकर एवं नुकसान के लिए प्रत्यर्थीगण पूर्ण रूप से उत्तरदायी प्रार्थीया सिनियर सिटीजन है,ओर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण कोई भरण पोषण हेतु खर्चा नही देते है न ही सार संभाल ही करते है, उल्टे गाली गलोच करते है,मारपीट पर आमादा फसाद हो जाते है, धमकीया देते है, प्रार्थीगण कोई काम धन्धा नही जानते है,अप्रर्थीगण भी कोई खर्चा नही देते है जबकि अप्रार्थी कम 1 प्रोपर्टी का कार्य करता है,ओर प्रतिमाह 70,000रू0 कमा लेता है, ओर वह प्रार्थीगण के लिए प्रतिमाह प्रार्थीगण को 20,000 रू0 भरण पोषण व इलाज के लिए अदा करने में सक्षम है, प्रार्थीगंण को उक्त खर्चा की सख्त आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से प्रतिमाह 20,000 रू0 अक्षरे बीस हजार रू. प्रार्थना पत्र. पेश करने की दिनांक से भरण पोषण व हारी बीमारी मे इलाज हेतु प्रतिमाह दिलाये जावे ओर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के मकान वाकै कुम्हारो का मोहल्ला गणेश चौक फतेहगढी के बालाजी खेडली फाटक कोटा से बेदखल किये जाने के ओदश प्रदान करे, अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीगण के पक्ष मे हो अत फरमायी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण का उक्त पते पर स्वयं के मकान में निवास करना स्वीकार है जो अप्रार्थीगण के मकान के पास ही स्थित है। उक्त मकान अप्रार्थी कम 1 ने स्वयं बनाया है जिसका नल बिजली का कनेक्शन अप्रार्थी कम 1 के नाम पर है तथा उक्त मकान का पटटा व रजिस्ट्री अप्रार्थी कम 1 के नाम पर है। अप्रार्थीगण द्वार प्रार्थीगण से किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नही किया गया है। प्रार्थी कम 1 सेना से रिटायर्ड कर्मचारी है जिनको पेंशन व अन्य भत्ते प्राप्त होते है जबकि अप्रार्थी कम 1 दैनिक मजदूरी का कार्य करके बमुश्किल अपना व परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थीगण अपने दूसरे लडके विजय सिंह व उसकी पत्नी के प्रभाव में आकर अप्राथीगणो को लगातार परेशान कर रहे है तथा झुठी रिपोर्ट अप्रार्थीगणो के विरूद्ध करवा देते है। प्रार्थीगण अपने बडे पुत्र विजय सिंह के बहकावे मे आकर अप्रार्थीगणो से उसका मकान जबरन छीनकर हडप करना चाहते है उसी कम मे यह कार्यवाहीया अमल मे लाई गई है। अप्रार्थी कम 1 दैनिक मजदूरी का कार्य करता है तथा बमुश्किल उसने निजी उधार रूपये लेकर मकान का निर्माण कार्य करवाया है तथा बमुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण व गुजर बसर कर रहा है किन्तु प्रार्थीगण अपने बडे पुत्र विजय सिंह के दबाव में अप्रार्थीगण से उनका मकान जबरन झूठी कार्यवाहीया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

करके छीनना चाहते है। प्राथी कम 2 सेना से रिटायर्ड कर्मचारी है। जिनको प्रतिमाह पेंशन व अन्य भत्ते तथा चिकित्सक व्यय मिलता है जो प्रार्थीगणो के जीवनयापन के लिये पर्याप्त है। किन्तु प्रार्थीगण अपने पुत्र विजय सिंह के दबाव मे अप्रार्थीगणो के विरुद्ध उक्त झूठी कार्यवाहीया प्रस्तुत कर परेशान कर रहे है तथा अप्राथीगणो के मकान पर जबरन कब्जा प्रार्थीगण व विजय सिंह करने पर आमदा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाने की आज्ञा बक्शी जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। दौराने बहस उभयपक्षकारान की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान कुम्हारो का मोहल्ला गणेश चौक फतेहगढी के बालाजी खेडली फाटक से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी श्योजीलाल स्वयं सेना से रिटायर्ड कर्मचारी है जिनको प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है जिसके बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से भरण पोषण हेतु राशि की मांग की गई है जो उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सत्यनारायण की आजीविका एवं आय के साधन के सम्बंध में स्पष्टीकरण नही दिया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अप्रार्थी सत्यनारायण प्रतिमाह 70,000/– की कमाई करता हो। रिटायटर्ड कर्मचारी होने के कारण प्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त साधन है जिस कारण से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा